राजस्थान सरकार

Government of Rajasthan

कार्यालय खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, नागौर

Office Of the Mining Engineer, Department Of Mines&Geology,Nagaur

(Phone No. 01582-240038, E-Mail –ME.Nagour@RAJASTHAN.GOV.IN)

क्रमांकः–खअ / नागौर / बजरी / नीलामी / 2020 / 431 दिनांकः–28.10.2020

प्रेषितिः– श्रीमान निदेशक महोदय
निदेशालय, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।

विषयः–जब्तशुदा खनिज बजरी की सार्वजनिक निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कार्यालय द्वारा अवैध खनन / निर्गमन / भण्डारण की चैंकिग के दौरान जब्त की खनिज बजरी की नीलामी हेतु निविदाएं सीलबंद लिफाफे में दिनांक 10.11.2020 सायंकाल 5 बजे तक कार्यालय खनि अभियंता, नागौर (खनिज भवन,कॉलेज रोड़, स्टेडियम के सामने, नागौर) के कमरा संख्या 02 में आमंत्रित की जाती है प्राप्त सील बंद लिफाफे में दिनांक 11.11.2020 को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष कमरा संख्या 02 में खोली जायेगी, के संबंध में सर्वसाधारण को सूचित किये जाने हेतु प्रेस विज्ञप्ति एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र के एक अंक में न्युनतम स्थान में डीआईपीआर दरों पर प्रकाशित विज्ञप्ति करवाई जाती है।

इस हेतु प्रेस विज्ञप्ति तैयार कर 8 सेट हार्ड कॉपी में मय सीडी इस कार्यालय के कार्मिक श्री गजेन्द्र सिंह, सहायक कर्मचारी के साथ प्रेषित कर निवेदन है कि प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर बिल दो प्रतियों में कार्यालय को भिजवाने का श्रम करावें।

सलंग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

28/10/2020

खनि अभियंता,
नागौर

क्रमांकः–सम / 432 दिनांकः–28/10/2020

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्री गजेन्द्र सिंह, सहायक कर्मचारी, कार्यालय हाजा, को दी जाकर लेख है कि आप दिनांक 04.11.2020 को कार्यालय निदेशक महोदय, निदेशालय, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर उक्तानुसार प्रेस विज्ञप्ति दी जाकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करे।

28/10/2020

खनि अभियंता
खान एवं भू–विज्ञान विभाग
नागौर

राजस्थान सरकार
Government of Rajasthan
कार्यालय खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, नागौर
Office Of the Mining Engineer, Department Of Mines&Geology,Nagaur
(Phone No. 01582-240038, E-Mail –me.nagour@rajasthan.gov.in

प्रेस विज्ञप्तिः–

नागौर जिले में विभिन्न थाना क्षेत्रों में अवैध खनन/निर्गमन चैंकिग के दौरान जब्तशुदा खनिज बजरी की नीलामी हेतु सीलबंद लिफाफे में निविदाएं (दरें) दिनांक 10.11.2020 (सांय 5 बजे तक) कार्यालय खनि अभियंता, नागौर के कमरा नम्बर 02 में आमंत्रित की जाती है। प्राप्त सिलबंद लिफाफे कमेठी द्वारा दिनांक 11,11.2020 को प्रातः 11 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष कार्यालय के कमरा नम्बर 02 में खोली जायेगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है।

क्रं. सं.	स्थान का नाम जहां जब्तशुदा बजरी पड़ी है।	बजरी की अनुमोदित मात्रा(टनों में)	कुल मात्रा	बयाना/अमानत राशि	न्यूनतम निवदा राशि
1.	पुलिस थाना खुनखुना	440 टन	510 टन	17340/–	173400/–
2.	पुलिस थाना बडी खाटू	70			

निलामी कार्यवाही हेतु शर्तें निम्नानुसार रहेगीः–

1. निविदा सीलबन्द लिफाफें में प्रस्तुत करनी होगी । लिफाफें पर स्पष्ट रूप से पुलिस थाना/क्षेत्र/स्थल का नाम जहां बजरी पडी है, लिखा होना चाहिये। सभी निविदायेंक कार्यालय खनि अभियन्ता, नागौर के कमरा नम्बर 02 पर रखें टेन्डर बोक्स में दिनांक 10.11.2020 (सांयकाल 5 बजे) तक डाली जा सकेगी।
2. प्रत्येक निविदा के साथ उपर वर्णितानुसार बयाना/अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बेकर्स चैक जो संबंधित खनि अभियन्ता, नागौर के नाम हो, निविदा पत्र के साथ संलग्न करना होगा। यदि कोई निविदादाता अलग–अलग थाना परिसर/चौकी/स्थल की बजरी के लिए निविदा प्रस्तुत करता है, तो बयाना/अमानत राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट / बेकर्स चैक अलग–अलग की संलग्न करने होगे । निविदा राशि 10 रू प्रति टन के गुणक में ही मान्य होगी।
3. निविदा पत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि निविदादाता या निविदादाता फर्म, फर्म के भागीदारों/कम्पनी, कम्पनी के निदेशकों या उसके परिवार के सदस्यों के विरूद्ध विभाग की कोई राशि बकाया नहीं है।
4. जब्तशुदा बजरी की गुणवत्ता एवं मात्रा का निरीक्षण निविदा प्रस्तुत करने की तिथी से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में संबंधित थाना/चौकी/क्षेत्र/स्थल पर की जा सकती है। इसकी जानकारी कार्यालय खनि अभियन्ता, नागौर के तकनिकी स्टाफ से ली जा सकती है।
5. जब्तशुदा बजरी संबंधित थानि/चौकी/क्षेत्र/स्थल में जेसी भी जितनी भी, जहां भी है, उसी स्थिति में सफल निविदादाता को सुपूर्द की जावेगी।
6. प्राप्त निविदायें कमेटी द्वारा दिनांक 11.11.2020 को प्रातः 11 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष कार्यालय खनि अभियन्ता, नागौर के कमरा नम्बर 02 में खोली जाकर उच्चतम निविददाता की घोषणा की जावेगी एवं उच्चतम निविदादाता को आदेश पत्र दिया जावेगा। आदेश प्राप्ति के तीन कार्यदिवस में सम्पूर्ण निविदा राशि के डीडी के साथ–साथ संबंधित बजटमद में जमा कराकर चालान की प्रति कार्यालय में जमा करानी होगी। राशि जमा होने की तिथी से 5 एवं अधिकतम् 6 दिवस में समस्त बजरी उठानी होगी। अन्यथा जमा बयाना/अमानत राशि जब्त करते हुए बजरी पुनः राजकीय पक्ष में ले ली जावेगी।